3. कॉलेज द्वारा अभ्यार्थीयों से सत्र 2025–26 में लिये जाने वाले शुल्क का विवरण ।

Sr No.	Particulars of fee for Shri Guru Ram Rai Institute of Medical & Health Sciences	Fees Structure for A.Y. 2024-25
1	Tuition Fee (per annum) for other candidates (75% seats i.e. 112 seats)	21,00,000
	Tuition Fee (per annum) for candidates admitted under the Permanent Resident of Uttarakhand Quota (25% seats i.e. 38 seats) after 25% Rebate	15,75,000
	Tuition fee for NRI Quota students (Including security fee of 200 USD)	1,60,000 USD
Other Fees		
2	Hostel Fee (per annum)	2,07,900
3	Mess Fee (per annum)	2,07,900
4	Examination Fee (per annum)	50,000
5	Admission Fee (One Time)	50,000
6	Security Refundable (One Time)	1,00,000
7	Medical Examination (One Time)	1,500
8	University Enrolment (One Time)	1,000
9	Uniform Charges (One Time)	10,000
10	Convocation Charges (One Time)	3,000
11	Alumuni Fee (One Time)	1,000
12	Vaccination (One Time)	1,500

4. श्री गुरु राम राय इन्स्टीटयुट आफॅ मेडिकल एण्ड हैल्थ सांइसेज में वर्तमान में 150 एम0बी0बी0एस0 की सीट है जो पत्र संख्या Renewal/UGMEB/2023-24/603/020216 dated 04/06/2024 द्वारा एन0एम0सी0 से मान्यता प्राप्त है। **(Annexure – 1)**
5. संबद्ध विश्वविद्यालय– श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, देहरादून। **(Annexure – 2)**
6. एन0आर0आई0 की 15% सीटों का नवीनतम शासनादेश/प्रक्रिया पत्र **(Annexure – 3)**
7. काउन्सिलिंग अवधि में समन्वय हेतु
   - प्राचार्य का नामः– (डॉ) अशोक नायक
ई–मेल/दूरभाष – 9389922421/ principal.sgrrimhs@sgrru.ac.in
   - नोडल अधिकारी – (डॉ) गौरव रतुडी
ई–मेल/दूरभाष – 7906110944/Gauravraturi16@gmail.com

धन्यवाद।

भवदीय

प्रो० (डॉ) अशोक नायक
प्रधानाचार्य

PRINCIPAL
SGRR Institute of Medical & Health Sciences
Patel Nagar, Dehradun

संलग्नक– Annexure-1, Annexure -2 & Annexure -3

प्रतिलिपि–निम्नलिखित कि सेवा में सूचनार्थ प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेषालय, देहरादून।

HIMS/2025/ 849 — दिनांक: 05/07/2025

सेवा में,

कुलसचिव
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय
न्यू सेन्ट्रल होप टाउन,
बार्योखाला, शिशमबाड़ा
देहरादून . **248011**

विषयः— विश्वविद्यालय द्वारा आगामी सत्र 2025–26 के लिए मेडिकल/डेन्टल के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीट यू0जी0–2025 काउन्सिलिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 734/एच0एन0बी0यू0एम0यू0/नीट यू0जी0/2025–26 दिनांक 3 जुलाई 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। हिमालयन इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज, देहरादून द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के सम्बन्ध में मांगी गयी बिन्दुवार सूचना निम्नवत् है:—

बिन्दु 01 :— *एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या— 150 है।*

बिन्द 02 :— हमारे संस्थान में राज्य कोटे/अखिल भारतीय केन्द्रीयकृत (एम0सी0सी0) कोटा अथवा अखिल भारतीय प्रबन्धन कोटे का कोई प्रावधान नहीं है।

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2024) की धारा 13 की उपधारा 2 के प्रावधानों के अनुसार राज्य कोटे के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले 45 अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र देकर शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) में 25% की छूट प्रदान किये जाने के प्रावधान किये गये हैं। यह छूट प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद और प्रवेश प्रकिया पूरी होने पर अभ्यर्थियों की योग्यता के अनुसार दी जायेगी।

अतः एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु 30 प्रतिशत सीटें (45 सीटें) उत्तराखण्ड के स्थाई निवासियों तथा 70 प्रतिशत सीटें (105 सीटें) अन्य अभ्यर्थियों को आवंटित करने की कृपा करें।

बिन्दु 03 :— **शुल्क का विवरण :—**

शासन द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय के प्रथम नियमों के नियम—7 के प्रावधानों के अन्तर्गत सत्र 2025—26 हेतु एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के लिये शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के प्रबन्धन मण्डल द्वारा निम्नवत् निर्धारित किया गया है:—

Category	Tuition Fee per annum
For candidates admitted under the Permanent Resident of Uttarakhand quota (30% Seats i.e. 45 seats)	Rs. 15,75,000/- (Rupees fifteen lakhs seventy five thousand only)
For other Candidates (70% Seats i.e. 105 seats)	Rs. 21,00,000/- (Rupees twenty one lakhs only)

Himalayan Institute of Medical Sciences Dean -cum- Principal

स्वामी राम नगर, जौली ग्रांट, देहरादून (उत्तराखंड) 248016

Swami Ram Nagar, Jolly Grant, Dehradun (Uttarakhand) 248016

Tel.: 91-135-2471158 / 2471123 Fax: 91-135-2471141 Email: principal.hims@srhu.edu.in Website: www.hims.srhu.edu.in

उपरोक्त शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क (Other Fee):

1	One time non-refundable Admission fees for all categories.	50,000/-
2	One time Refundable Security fees for all categories.	2,00,000/-
3	Hostel Fee for all categories on Twin sharing basis (Non A.C.) per annum Hostel Fee for all categories on Twin sharing (A.C.) : Rs. 1,50,000/- per annum	1,00,000/-
4	Enrollment Fee (One time) for all categories	2,000/-
5	Charges for Hepatitis-B vaccination for all categories	2,000/-
6	Sports-ware (Student Kit & Blazer)	6,000/-
7	Mess Charges (per annum)	As per actuals (Rs.84,000/-)
8	Convocation Charges (to be paid in the final year)	Rs. 3,000/-
9	Alumni Enrolment fee	Rs. 1,000/-
10	University Examination fee	Rs, 7,500/- per subject for the first year

बिन्दु 04 :– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या U.12012/186/2019-ME.I [FTS.8006369] दिनांक 09/05/2019 द्वारा हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के लिए कुल 150 सीटों की मान्यता प्रदान की गई है।**(संलग्न–1)**

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission) के पत्र संख्या Renewal/ UGMEB/2023-24/335 dated 04/07/2025 द्वारा हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के लिए कुल 150 सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई है। **(संलग्न–2)**

बिन्दु 05 :– हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय का संघटक मेडिकल कालेज है।

बिन्दु 06 :– इस संस्थान पर लागू नहीं ।

बिन्दु 07 :–

प्रधानाचार्य – Lt. Gen. (Dr.) Daljit Singh (Retd.)
दूरभाष नं0 – 0135–2471158, 2471123,
मोबाईल नं0 – 8861379562
ई–मेल – principal.hims@srhu.edu.in

नोडल अधिकारी – Dr. Vinit Mehrotra
दूरभाष नं0 – 0135–2471220, 2471221
मोबाईल नं0 – 9412006274
ई–मेल – vp.ug.hims@srhu.edu.in

भवदीय,

डीन कम प्रधानाचार्य

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, देहरादून।

GAUTAM BUDDHA CHIKITSA MAHAVIDYALAYA
Dr. K.K.B.M. SUBHARTI HOSPITAL
(Run by: MTV Buddhist Religious and Charitable Trust)
A constituent college of
RAS BIHARI BIHARI BOSE SUBHARTI UNIVERSITY
Subhartipuram, Phase II, NH-72, Jhajra, Chakrata Road, Dehradun-248007
Ph: 0135- 2978409, 2978410, E-mail: gbcmddn@gmail.com, principaloffice@gbcm.in Website: www.gbcm.in

Fee Structure for Undergraduate Course (MBBS)
For Academic Session (2025-26)

Sr. No.	Particular of fee for Gautam Buddha Chikitsa Mahavidyalaya	Fee Structure for Academic Year 2025-26
1	Tuition Fee (per annum) for other candidate (75% seats i.e. 112 seats)	Rs. 21,00,000/-
2	Tuition Fee (per annum) for candidate admitted under the permanent resident of Uttarakhand Quota (25% seats i.e. 38 seats) after 25% Rebate	Rs. 15,75,000/-
Other Fee		
3	Admission Fee (One Time)	Rs. 50,000/-
4	Security (Refundable)	Rs. 1,00,000/-
5	Hostel Fee (Per Annum)	Rs. 1,80,000/-
6	Mess Fee (Per Annum)	Rs. 1,80,000/-
7	Medical Examination (One Time)	Rs. 1,500/-
8	Exam Fee (As per University Rule)	Rs. 50,000/-
9	Enrolment Fees (One Time)	Rs. 1,200/-
10	Uniform Fee	Rs. 20,000/-

(Dr. Desh Deepak)
Principal & Dean
Gautam Buddha Chikitsa Mahavidyalaya
Dehradun

संख्या– /XXVIII(5)/2021-77/2013

प्रेषक,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक 11 दिसम्बर, 2021

विषयः– राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23 मई, 2013, जिसके माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड के क्रियान्वयन तथा एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड हस्ताक्षरित न करने वाले नॉन बॉण्डेड एम0बी0बी0एस0 छात्रों हेतु वार्षिक शिक्षण शुल्क ₹ 04.00 लाख निर्धारित किया गया है, को शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में संशोधित करते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021–22 से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉण्डेड छात्र–छात्राओं हेतु एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क को कम करते हुए ₹ 1.45 लाख (₹ एक लाख पैंतालिस हजार मात्र) वार्षिक तत्काल प्रभाव से निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उक्तानुसार निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा शासनादेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात नव प्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से देय वार्षिक शिक्षण शुल्क उक्तानुसार संशोधित दरों पर ही लिया जायेगा।

4– शासनादेश संख्या–1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23 मई, 2013 में विहित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–227(म0)/XVII(3)/2021 दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।

Bahuguna Uttarakhand ... 3964

संख्या–1076/XXVIII(5)/2021-77/2013 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।

2– निजी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

4– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।

5– गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

6– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।

7– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।

8– कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।

9– समस्त प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।

10– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

11– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह पांगती)
संयुक्त सचिव।

D:\computer data till 2020\Medical education\2020-21\Draft\Establishment Draft 2021.01.doc

Office of the Principal, Government Medical College,
Haldwani (Nainital) Uttarakhand

Telephone: 05946-282824,255255 Fax:-05946-282578
Website:www.gmchld.org,www.gmchld-com e-mail-principal-gmchld-uk@gov.in

पत्रांकः– 1295 / जी0एम0सी0 / एम0बी0बी0एस0 / पी0–03 / प्रवेश 2024–25 / दिनांकः–14 / 08 / 2024

रजिस्ट्री / ईमेल

सेवा में,

उप परीक्षा नियंत्रक
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
न्यू सेन्ट्रल होप टाउन,बायॉखाला, शिशमबाड़ा,
देहरादून, पिन कोर्ड न0 248197।

विषयः– **नीट–यू0जी0 (एम0बी0बी0एस0) पाठ्यक्रम में सत्र 2024–25 प्रवेश हेतु शुल्क के सम्बन्ध मे।**

संदर्भः– **आपके पत्र संख्या 1016 / एच0एन0बी0यू0एम0यू0 / नीट यू0जी0 / 2024–25 दिनांक 14 अगस्त 2024 के कम में।**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के विषय में सादर अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित प्रारूप में सूचना भरकर प्रेषित की जा रही है जो कि निम्नवत है–

क0 सं0	शुल्क का नाम	निर्धारित धनराशि (रू0)
1.	शिक्षण शुल्क	1,45,000.00
2.	छात्रावास शुल्क	6,000.00
3.	क्रीड़ा शुल्क	5,000.00
4.	विकास शुल्क	5,000.00
5.	धरोहर राशि	10,000.00
6.	प्रवेश शुल्क	500.00
7.	मैस शुल्क	00. # (मैस सुविधा हेतु पुरूष एवं महिला छात्रावास में विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के स्तर से प्रथक–प्रथक व्यवस्था की जाती है)
8.	विवरण पुस्तिका (Prospectus) (प्रवेश प्रपत्र पत्रिका)	1,500.00

भवदीय

प्राचार्य
राजकीय मेडिकल कॉलेज,
हल्द्वानी।

पत्रांकः 1295 /(1) उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ।

1– निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, 107 चन्दरनगर देहरादून।

2– कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, न्यू सेन्ट्रल होप टाउन,बायॉखाला, शिशमबाड़ा, देहरादून,

3– यू0जी0 / पी0जी0 अनुभाग, रा0मे0का0 हल्द्वानी।

प्राचार्य,
राजकीय मेडिकल कॉलेज,

सलग्नक -01

कार्यालय प्राचार्य / डीन

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल

फोन0 न0– 01346–244701, ई0मेल0– principalvcsg@gmail.com

पत्रांक– मे0का0 / छात्र अनुभाग / 2024–25 / 1932 दिनांक 17 / 08 / 2024

सेवा में,

उप–परीक्षा नियन्त्रक
हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय
देहरादून।

विषय– नीट यू0जी0– 2024 उत्तराखण्ड केन्द्रीयकृत काउन्सलिंग के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 1016 / एच0एन0बी0यू0एम0यू0 / नीट यू0जी0 / 2024–25 दिनांक 14 अगस्त 2024 के कम में मांगी गई सूचना निम्नलिखित है।

क्रम संख्या	शुल्क का नाम	निर्धारित धनराशि (रू0)
01	शिक्षण शुल्क	रू0 50,000 / – (जिन अभ्यर्थियों के द्वारा अनिवार्य राजकीय सेवा सम्बन्धित अनुबन्ध पत्र भरा जाएगा)
		रू0 1,45,000 / – (जिन अभ्यर्थियों के द्वारा अनिवार्य राजकीय सेवा सम्बन्धित अनुबन्ध पत्र नही भरा जाएगा)
02	कीडा शुल्क	रू0 5000 / – (पूरे कोर्स हेतु केवल एक बार प्रवेश के समय लिया जाता है)
03	धरोहर राशि	रू0 10,000 / – (केवल प्रवेश के समय लिया जाएगा जिसे कोर्स पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार वापस कर दिया जाएगा)
04	प्रवेश शुल्क	रू0 500 / – (केवल प्रवेश के समय लिया जाता है)
05	विकास शुल्क	रू0 5000 / – (प्रतिवर्ष)
06	छात्रावास शुल्क	रू0 6000 / – (प्रतिवर्ष)
07	मैस शुल्क	रू0 3500 / – (प्रतिमाह)
08	विवरण पुस्तिका (Prospectus)	रू0 500 / –

(डा0 सी0एम0एस0 रावत)
प्राचार्य

पत्रांक– मे0का0 / छात्र अनुभाग / 2024–25 / 1932 दिनांक–17 / 08 / 2024

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रभारी यू0जी0 / पी0जी0 अनुभाग, वी0च0सि0ग0रा0आयु0शो0सं0, श्रीनगर गढ़वाल।
2- वित्त नियन्त्रक / लेखा अनुभाग, वी0सि0ग0रा0आयु0शो0सं0, श्रीनगर गढ़वाल।
3- कार्यालय पत्रावली।

(डा0 सी0एम0एस0 रावत)
प्राचार्य

Govt. Doon Medical College, Dehradun
Office of the Principal
Phone no.0135-2726020, Fax no. 0135-2726020, 2726021, Email id: doonmedicalcollege@gmail.com
Website- www.gdmcuk.com Dehrakhas, Patel Nagar, Dehradun-248001

पत्रांकः–रा0दू0मे0का0 / यू0जी0 अनुभाग / प्रवेश / का0आ0 / 2024 / 4276 दिनांकः 14 अगस्त, 2024

–: कार्यालय आदेश :–

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में **नीट यू0जी0–2024** के माध्यम से शैक्षिक सत्र 2024–25 में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम मे प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र/छात्राओं के लिए शासनादेश संख्या–1076/XXVIII(5)/2021-77/2013 दिनांकः 11 दिसम्बर, 2021 **(संलग्नक)** एवं शासनादेश संख्या–1145/XXVIII(1)2013-U.O-03/2008 दिनांक 23 मई, 2013 में विहित शेष शर्ते को यथावत् रखते हुए छात्र–छात्राओं हेतु निम्नानुसार शुल्कों का निर्धारण किया गया है।

क्रम संख्या	शुल्क का नाम	प्रस्तावित शुल्क रू0 में
1	शिक्षण शुल्क	**1,45,000/-** (प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)
2	छात्रावास शुल्क	**6,000/-** (प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)
3	कीड़ा शुल्क	**5,000/-** (एक बार, केवल प्रवेश के समय)
4	विकास शुल्क	**5,000/-** (प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)
5	धरोहर शुल्क	**10,000/-** (एक बार, केवल प्रवेश के समय)
6	प्रवेश शुल्क	**500/-** (एक बार, केवल प्रवेश के समय)
7	मैस शुल्क	**22000/-**(प्रति छः माह)
8	**Prospectus & Admission Form**	**Rs. 1000/-cash to be Deposited at the time of admission**

- नीट काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्र–छात्राओं द्वारा नियमानुसार कॉलेज छोडे जाने की दशा में हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय / चिकित्सा शिक्षा निदेशालय / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार कटौती कर शेष धनराशि सम्बन्धित छात्र–छात्रा के खाते में वापस की जायेगी।
- विद्यार्थियों द्वारा कुल शुल्क की धनराशि का ड्रॉफ्ट **प्राचार्या, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून** के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत किया हुआ ही अनुमन्य होगा, यदि उत्तराखण्ड शासन / विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क में कोई परिवर्तन होता है तो वह देय होगा एवं शुल्क का अन्तिम निर्धारण शासनादेशों के अनुपालन में मान्य होगा।
- एच0एन0बी0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा समय–समय पर प्रोफेशनल परीक्षाएँ आयोजित करायी जाती है एवं प्रोफेशनल परीक्षा हेतु अतिरिक्त परीक्षा शुल्क छात्रो को देना होता है।
- कॉलेज छात्रावास (पुरूष / महिला) में मैस की व्यवस्था है जिस हेतु संस्थान द्वारा निर्धारित मैस शुल्क देना होगा। कॉलेज छात्रावास (पुरूष / महिला) मे रहने वाले सभी छात्र–छात्राओ को वार्षिक छात्रावास शुल्क के साथ वार्षिक मैस शुल्क देना भी अनिवार्य है। वर्ष के अन्त में मैस बिल का समायोजन मैस कमेटी के द्वारा किया जायेगा।

14/8/24

प्राचार्या,
राजकीय दून मेडिकल कॉलेज,
देहरादून।

पत्रांकः–रा0दू0मे0का0 / यू0जी0 अनुभाग / प्रवेश / का0आ0 / 2024 / 4276 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, 107 चन्दर नगर, देहरादून।
3. कुलसचिव, एच0एन0बी0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।

Govt. Doon Medical College, Dehradun
Office of the Principal
Phone no.0135-2726020, Fax no. 0135-2726020, 2726021 , Email id: doonmedicalcollege@gmail.com
Dehrakhas, Patel Nagar, Dehradun-248001
Website- www.gdmcuk.com

4. परीक्षा नियंत्रक, एच0एन0बी0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. वित्त नियंत्रक, एच0एन0बी0यू0एम0यू0 देहरादून।
6. वित्त नियंत्रक, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून।
7. सहायक अकादमिक डीन, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून।
8. विभागाध्यक्ष / प्रभारी, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून।
9. प्रभारी प्रवेश प्रक्रिया, नीट यू0जी0–2024, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून।
10. प्रभारी, यू0जी0 अनुभाग, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून।
11. प्रशासनिक अधिकारी।
12. लेखा अनुभाग।
13. कॉलेज नोटिस बोर्ड।
14. गार्ड फाइल।

प्राचार्या
राजकीय दून मेडिकल कॉलेज,
देहरादून।

कार्यालय प्राचार्य, सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा
निकटविकासभवन, पाण्डेखोला, अल्मोड़ा, जिला–अल्मोड़ा–263601 (उत्तराखण्ड)
ई–मेल–principal.gmcalmora@gmail.com
मोबाइल सं0 :–9412410759
http://www.ssjgimsralmora.org
फोन / फैक्स नं0 :– 05962–230557

पत्रांकः–1192 / जीएमसीए / एच0एन0बी0यू0एम0यू0 / 2024–25 दिनॉक : 14 अगस्त, 2024

सेवा में,

उप–परीक्षा नियत्रंक
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा,
विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन
राजकीय दून मेडिकल कॉलेज परिसर,
देहराखास पटेल नगर देहरादून उत्तराखण्ड(भारत)पिन0–248001

विषयः **नीट यू0जी–2024 उत्तराखण्ड केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग के आयोजन के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक–1016 / एच0एन0बी0यू0एम0यू0 / नीट यू0जी0 / 2024–25 दिनॉक–14,अगस्त,2024 के क्रम में चाही गयी सूचना का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0स0	शुल्क का नाम	निर्धारित धनराशि(रू0)	
		Bonded	**Non Bonded**
01	शिक्षण शुल्क	50,000.00	1,45,000.00
02	छात्रावास शुल्क	6,000.00	6,000.00
03	क्रीडा शुल्क	5,000.00	5,000.00
04	विकास शुल्क	5,000.00	5,000.00
05	धरोहर राशि	10,000.00	10,000.00
06	प्रवेश शुल्क	500.00	500.00
07	मैस शुल्क	36,000.00 (Per Year)	36,000.00 (Per Year)
08	विवरण पुस्तिका (Prospectus)	1,500.00	1,500.00

भवदीय,
CPBhanisa 14/8/24
(डॉ0 चन्द्र प्रकाश)
प्राचार्य
सो.सिं.जी.रा.आ.एवं शो.सं.
अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

पत्रांक :– 1192 /01 / उक्त दिनांकित।
प्रतिलिपि :–

1. यू0जी0 अनुभाग।

(डॉ0 चन्द्र प्रकाश)
प्राचार्य
सो.सिं.जी.रा.आ.एवं शो.सं.
अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

संख्या– /XXVIII(1)/2018-77/2013

देहरादूनः दिनांक 08 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (संशोधित) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत राज्य में निजी क्षेत्र के असहायतित चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए शुल्क निर्धारण हेतु डॉ0 रणवीर सिंह, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन/सदस्य सचिव, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति की अध्यक्षता मे संपन्न प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति की बैठक दिनांक 16 मार्च, 2018 के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त दिनांक 03 अप्रैल, 2018 के अनुसार निम्न संस्थान का अन्तरिम शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	शैक्षिक सत्र	शिक्षण शुल्क
1.	उत्तरांचल डेन्टल एण्ड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, माजरी, देहरादून	बी0डी0एस0	2018–19, 2019–20, 2020–21	2,15,000/–
		एम0डी0एस0	2018–19, 2019–20, 2020–21	7,09,000/–

2– उपरोक्त संस्थान द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु उक्तानुसार निर्धारित शुल्क में सभी अवयव (All components) सम्मिलित होंगे।

3– उक्तानुसार अनुमोदित शुल्क ढांचा उक्त संस्थान में उक्त पाठ्यक्रमों में वर्तमान में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के द्वारा अध्ययन किये जा रहे पूर्ण अवधि हेतु निर्धारित किया जाता है।

4– यदि संस्थान के द्वारा किसी भी दशा में उक्तानुसार निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि शुल्क के रूप में प्राप्त की गयी है तो प्रत्येक दशा में ऐसी धनराशि को संबंधित छात्र–छात्राओं को वापस किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित शुल्क से अधिक ली गयी धनराशि वापस न किये जाने पर संस्थान के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5– संस्थान में कुल स्वीकृत सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें सरकारी कोटे तथा 50 प्रतिशत सीटें प्रबन्धकीय कोटे से भरी जायेंगी।

6– उक्त निर्देशों का उपरोक्त संस्थान द्वारा कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निर्देशों की अवहेलना करने पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

7— उत्तरांचल डेन्टल कॉलेज, माजरी, देहरादून का शुल्क अनन्तिम रूप से निर्धारित किया गया है। भविष्य में प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा अन्तिम शुल्क की संस्तुति किये जाने पर अन्तिम शुल्क निर्धारित किया जायेगा।

(नितेश कुमार झा)
सचिव

संख्या– 671/XXVIII(1)/2018-77/2013 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन/ सदस्य सचिव, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति।
2— कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
3— निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4— श्री सुदर्शन शर्मा, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, सदस्य प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति, उत्तराखण्ड।
5— प्राचार्य, उत्तरांचल डेन्टल एण्ड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, माजरी, देहरादून।
6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(शिव शंकर मिश्रा)
अनुसचिव।

F:\Yashwant Sir\Karyalay Adesh 2018.docx

327
9/5/18

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– /XXVIII(1)/2018-77/2013
देहरादूनः दिनांकः 08 मई, 2018

uploading at website

Medical section

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (संशोधित) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत राज्य में निजी क्षेत्र के असहायतित चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए शुल्क निर्धारण हेतु डॉ0 रणवीर सिंह, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन/सदस्य सचिव, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति की अध्यक्षता मे संपन्न प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति की बैठक दिनांक 16 मार्च, 2018 के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त दिनांक 03 अप्रैल, 2018 के अनुसार निम्न संस्थान का शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	शैक्षिक सत्र	शिक्षण शुल्क
1.	सीमा डेन्टल कॉलेज, ऋषिकेश	बी0डी0एस0	2018–19, 2019–20, 2020–21	2,15,000/–
		एम0डी0एस0	2018–19, 2019–20, 2020–21	7,09,000/–

2– उपरोक्त संस्थान द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु उक्तानुसार निर्धारित शुल्क में सभी अवयव (All components) सम्मिलित होंगे।

3– उक्तानुसार अनुमोदित शुल्क ढांचा उक्त संस्थान में उक्त पाठ्यक्रमों में वर्तमान में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के द्वारा अध्ययन किये जा रहे पूर्ण अवधि हेतु निर्धारित किया जाता है।

4– यदि संस्थान के द्वारा किसी भी दशा में उक्तानुसार निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि शुल्क के रूप में प्राप्त की गयी है तो प्रत्येक दशा में ऐसी धनराशि को संबंधित छात्र–छात्राओं को वापस किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित शुल्क से अधिक ली गयी धनराशि वापस न किये जाने पर संस्थान के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5– संस्थान में कुल स्वीकृत सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें सरकारी कोटे तथा 50 प्रतिशत सीटें प्रबन्धकीय कोटे से भरी जायेंगी।

6– उक्त निर्देशों का उपरोक्त संस्थान द्वारा कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निर्देशों की अवहेलना करने पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(नितेश कुमार झा)
सचिव

F:\Yashwant Sir\Karyalay Adesh 2018.docx

संख्या– 670 /XXVIII(1)/2018-77/2013 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन / सदस्य सचिव, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति।

2– कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।

3– निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4– श्री सुदर्शन शर्मा, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, सदस्य प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति, उत्तराखण्ड।

5– प्राचार्य, सीमा डेन्टल कॉलेज, ऋषिकेश, देहरादून।

6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)

अनुसचिव।

F:\Yashwant Sir\Karyalay Adesh 2018.docx

निर्गत 26/6/19

संख्या–837/XXVIII(1)/19-19(मे0का0)/2015

प्रेषक

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 26 जून, 2019

विषयः चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड/अनुबन्ध पत्र को लागू किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्तमान में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में एम0बी0बी0एस0 एवं एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रमों में रियायती शिक्षण शुल्क के एवज में राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड की सुविधा अनुमन्य है। बॉण्डधारी चिकित्सकों को बॉण्ड की शर्तों के क्रम में राज्य के पर्वतीय, दुर्गम–दुरस्थ क्षेत्रों में संविदा पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति दी जाती है। वर्तमान में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत चिकित्सकों के कुल 2735 सृजित पदों के सापेक्ष 2056 पदों पर चिकित्सक कार्यरत हैं। अतः इस प्रकार राजकीय मेडिकल कॉलेजों से पासआउट होने वाले चिकित्सकों से उक्त सभी रिक्त पद भर जायेंगे।

2– राजकीय मेडिकल कॉलेजों से राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड/अनुबन्ध पत्र के अनुसार पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सकों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर/जूनियर रेजिडेन्सी पर तब तक नहीं रखा जाता है, जब तक कि उनके द्वारा अनुबन्ध ,पत्र के अनुसार सेवायें दुर्गम–दुरस्थ क्षेत्रों में पूर्ण न की हों। जिस कारण राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर/जूनियर रेजीडेन्टो की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड/अनुबन्ध पत्र पर नॉन क्लीनिकल विषयों में पी0जी0 पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सकों को प्रान्तीय चिकित्सा सेवा (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) में उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप पद उपलब्ध नहीं है।

3– उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

i– राजकीय मेडिकल कॉलेज, देहरादून और हल्द्वानी में बॉण्ड की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

ii– वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल तथा सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा में छात्रों के लिए बॉण्ड की सुविधा ऐच्छिक आधार पर अनुमन्य होगी।

E:\Yashwant Sir\Draft 2019.doc

Scanned by CamScanner

iii– सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ऑल इण्डिया कोटे के माध्यम से एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों के लिए बॉण्ड अनुमन्य नहीं होगा अर्थात वे पूर्ण शुल्क पर ही पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे।

iv– राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड से आच्छादित चिकित्सक एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त प्रथम वर्ष जूनियर रेजीडेन्ट, दूसरे व तीसरे वर्ष की सेवायें राज्य के दूर्गम–दूरस्थ क्षेत्रों में अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, अंतिम दो वर्षों की सेवायें राज्य के जिला चिकित्सालयों/पर्वतीय/सुगम क्षेत्रों में देंगे।

v– नॉन क्लीनिकल विषयों के पी0जी0 पाठ्यक्रमों में चयनित छात्रों हेतु बॉण्ड की अनुमन्यता नहीं होगी, क्योंकि प्रांतीय चिकित्सा सेवा में राज्य के सुदूरवर्ती स्थानों पर अवस्थित चिकित्सालयों में उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप पद नहीं हैं।

vi– राजकीय मेडिकल कॉलेजों से उत्तीर्ण परा–स्नातक चिकित्सकों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रथम वर्ष की सीनियर रेजीडेंसी करने की अनुमति होगी एवं इस अवधि को बॉण्ड की शर्तों में उल्लिखित अवधि में सम्मिलित माना जायेगा। शेष दूसरे वर्ष की सेवायें राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में देंगे।

vii– बॉण्ड की धनराशि समय–समय पर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

4– कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या–837/XXVIII(1)/19-19(मे0का0)/2015 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5– समस्त प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।
6– कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner